1.2024/723

निर्णय
26.12.2024

2024/785

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

मुलाराम बनाम रूकमणी आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 562 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16.12.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.12.2024 को पेश हो। [signature]	
19.12.2024	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। वादी व प्रतिवादीगण। ताय से जरिये वकील करणी सिंह उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। जिसे बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टे जवाब आईन्दा तारीख 24.12.2024 को पेश हो। [signature]	मूलाराम R.T.A रूकमणी रामलाल प्रेमकुमार
24.12.2024	वकुलाए फरीकेन उपस्थित/PU मुहर अवकाश घोषित है। पत्रावली वास्ते स्टे जवाब दिनांक 26.12.2024 को पेश हो [signature]	R.T.A गुड्डी
26.12.2024	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। स्टे जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड वादी व प्रति पूर्ती वादी के राजीनामा के आधार पर [illegible] जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय [illegible] लिखाया जाकर शामिल फाईल किया [illegible] से कम की जाकर बाद तकमील तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	प. वादी Kamu Ci

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.27 19:18:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 562/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
मुलाराम पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन कुलचासर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।
–वादी

बनाम

1. रुकमणी पुत्री चुनाराम पत्नी आदुराम जाति जाट साकिन कुलचासर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ
2. रामलाल पुत्र आदुराम जाति जाट साकिन कुलचासर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।
3. प्रेम कुमार पुत्र आदूराम जाति जाट साकिन कुलचासर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ।
4. गुडी पुत्री रुकमणी/आदुराम पत्नी चुनीलाल जाति जाट निवासी बिकमसरा तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लु।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री कृष्णकुमार वकील–वादी
श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक– 26.12.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कुलचासर के खसरा नम्बर 148 की 3.8460 है., 159 की 14.2310 है., 168 की 9.7400 है., 213 की 1.265 है., 230 की 7.539 है., 254 की 0.8100 है. कुल 37.4310 है0 तहसील पल्लु की भूमि मे से 13790/37431 हिस्सा भूमि वर्तमान में जो प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में से वादी व प्रतिवादी स. 3 को 12.214 है. भूमि के व प्रतिवादी सं. 2 को 1.576 है. भूमि के तथा रोही मौजा कुलचासर के खसरा नम्बर 186 की 1.518 है., 255/1 की 1.265 है., 255/2 की 5.060 है. कुल 7.8430 है0 तहसील पल्लु की भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान में जो प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है उसके वादी व प्रतिवादी 2 व 3 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे तथा शेष जमाबंदी बदस्तुर रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.12.2024 .को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.27 19:58:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर